न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2015/00239

अपील संख्या – 84/15

1. मोहम्मद इलियास
2. मोहम्मद स्वालेह
3. मोहम्मद अबूजर पिसरान अब्दुल रसीद
4. कदीरा पत्नि स्व0 अब्दुल रसीद जातियान मुसलमान निवासीयान टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. जफर अहमद पुत्र बून्दू खां
2. अब्दुल जब्बार पुत्र सन्नू खां (अवेट) (हजफ)
3. सलीम शाह पुत्र शकूर शाह
4. फजलुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन जातियान मुसलमान निवासीयान टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 68/14 निर्णय दिनांक 18.11.15 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुनील कुमार जिन्दल

दिनांक 03.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 18.11.15 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा स्थित आराजी ख0न0 2629 रकबा 0.32 है0 की खातेदारी पूर्व मे अब्दुल कदीर,अब्दुल वशीर पिसरान अहमद हुसैन हिस्सा 1/2 , मोहम्मद इस्माईल,मोहम्मद इब्राहिम पिसरान अब्दुल मुजीब हिस्सा 1/4 तथा सायलान/अपीलांट वहिस्सा 1/4 की थी। सहखातेदारान का ख0न0 2629 व अन्य भूमि का बंटवारा होने पर ख0न0 2629 का रकबा 0.16 है0 सायलान के हिस्से मे तथा ख0न0 2629 को नवीन हिस्सा 2629/1 रकबा 0.16 है0 अब्दुल वशीर के हिस्से मे आया जिसका नामा0 1220 दिनांक 23.1.12 को भरा गया जिसके आधार पर सायलान ख0न0 2629 रकबा 0.16 है0 के खातेदार काबिज आराजी है। अपने हिस्से का उपयोग भली भांति करते चले आ रहे है। ख0न0 2632 रकबा 0.47 है0 सायलान की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। ख0न0 2628 रकबा 0.07 है0 नगर पालिका टोडाभीम के नाम दर्ज है। जो सायलान की आराजी के मध्य स्थित है। ख0न0 2629,2632 सायलान की ... भूमि है। सायल ख0न0 2632 मे 2629 व 2628 मे होकर रास्ते का उपयोग करते हुए कृषि संसाधन पशुधन लाने ले जाने के रूप मे काम मे लेते चले आ रहे है। उक्त ख0न0 की भूमि से गैरसायलान का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

संबंध नही है। लठठ के बल पर सायलान की आराजी पर कब्जा कर उसमे वाउन्ड्रीवाल करवाने पर उतारू है तथा कब्जा करने की धमकी दे रहे है। गैरसायलान नगर पालिका की भूमि जिसमे से सायलान आते आते रहते है उसे एवं सायल की खातेदारी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। इस कारण आराजी ख0न0 2632 रकबा 0.47 है0 टोडाभीम 11 विस्वा से सायलान के रास्ता जो ख0न0 2629 व 2628 मे होकर जा रहा है उस पर गैर सायलान कब्जा नही करे। सायलान को बेदखल नही करे कोई पुख्ता निर्माण नही करे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखी जाने हेतु गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। भूमि ख0न0 2629 रकबा 0.32 है0 की खातेदारी पूर्व मे अब्दुल कदीर,अब्दुल वशीर पिसरान अहमद हुसैन हिस्सा 1/2 , मोहम्मद इस्माईल,मोहम्मद इब्राहिम पिसरान अब्दुल मुजीब हिस्सा 1/4 तथा अपीलांट वहिस्सा 1/4 की थी। सहखातेदारान का ख0न0 2629 व अन्य भूमि का बंटवारा होने पर ख0न0 2629 का रकबा 0.16 है0 अपीलांट के हिस्से मे तथा शेष रकबे का नवीन ख0न0 2629/1 रकबा 0.16 है0 अब्दुल बशीर के हिस्से मे आया । जिसका नामा0 1220 दिनांक 23.1.12 को भरा गया जिसके आधार पर ख0न0 2629 रकबा 0.16 है0 की आराजी अपीलांट के नाम दर्ज हुई। अपने हिस्से का उपयोग भली भांति करते चले आ रहे है। ख0न0 2632 रकबा 0.47 है0 ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा अपीलांट की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। ख0न0 2628 रकबा 0.07 है0 पूर्व मे अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से उक्त भूमि नगर पालिका टोडाभीम के नाम दर्ज कर दी गई। जो अपीलांट की खातेदारी की भूमि के मध्य मे स्थित है। भूमि ख0न0 2629,2632 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है अपीलांट अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 2632 मे ख0न0 2629 व 2628 मे होकर रास्ता का उपयोग करते हुए अपनी भूमि मे जाता आता है। तथा कृषि संसाधन पशुधन लाने ले जाने के काम मे उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ख0न0 2629,2632,2628 से रेस्पो0 का कोई वास्ता सबंध नही है। वह जबरन लठठ के बल पर उक्त आराजीयात पर कब्जा कर बाउन्ड्रीवाल बनाने तथा निर्माण करने तथा अपीलांट का रास्ता बंद करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पो0 का उक्त भूमि मे कोई कब्रिस्तान नही है उक्त भूमि अपीलांट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। कब्रिस्तान की भूमि 10 विस्वा पृथक से सिफाखाने के पास है जो ख0न0 2629/1 मे है परन्तु रेस्पो0 जबरन उक्त समस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी का कब्रिस्तान की भूमि बताकर हडपना तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कब्जा करना चाहता है। वक्फ बोर्ड मे कब्रिस्तान की भूमि केवल 10 विस्वा सिफाखाने के पास दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से समस्त भूमि को कब्रिस्तान की भूमि होने का बिना किसी दस्तावेज के निष्कर्ष निकाल कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे अहम भूल की है। जबकि उक्त भूमि मे ना तो कोई कब्रिस्तान है और ना ही कब्रिस्तान के काम आ रही है। बल्कि उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलांट काबिज है तथा समस्त राजस्व रिकार्ड अपीलांट के नाम दर्ज है उक्त कृषि भूमि है अदालत मातहत ने उक्त भूमि पर बिना किसी आधार के अपीलांट का कब्जा नही मानकर भारी भूल की है। अपीलांट का प्राईमाफेसी केस तथा सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे बखूबी साबित था तथा अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होना साबित थी। रेस्पो0जबरन अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने एवं निर्माण करने तथा अपीलांट का रास्ता बन्द करने पर आमादा है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी होना माना है तथा स्वयं रेस्पो0 ने इस संबंध मे इकरारनामा दिनांक 5.11.14 के तहत उक्त भूमि को अपीलांट की माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इललीगल एवं इम्प्रोपर होने से निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर रेस्पो0 को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 2632 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा मे अपीलांट का रास्ता जो ख0न0 2629 व 2628 मे होकर जा रहा है उस पर कब्जा कर कोई बाउन्ड्रीवाल अथवा निर्माण नही करे तथा उक्त रास्ते मे अपीलांट के उपयोग उपभोग मे कोई बाधा उत्पन्न नही करे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात आराजी ख0न0 2629 रकबा 0.32 है0 स्थित ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा पर कई वर्षो से सक्का फकीर समाज कब्रिस्तान के रूप मे काम में लेते चले आ रहे है जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी मे दर्ज है। अपीलांट का ख0न0 2632 रकबा 0.47 है0 पर कभी कोई कब्जा नही रहा है। आराजी ख0न0 2628 मे भी सक्का व फकीर समाज के लोगो द्वारा पिछले सैकडो वर्षो से कब्रगाह के रूप मे काम मे लेते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कोई कब्जा नही रहा है। अपीलांट व रेस्पो0 के बीच कोई विवाद उत्पन नही हुआ है। इस कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ असामाजिक व्यक्तियो द्वारा गन्दगी करने के कारण गढे हुए कब्रो को सूअर उखाडने लगने के कारण समाज के लोगो ने इक्ठठा होकर इस समस्या के निदान स्वरूप बाउन्ड्रीवाल कराने लगे तो अपीलांट ने समाज के लोगो को बाउन्ड्रीवाल बनाने से मना कर दिया गया तथा कब्रो का उखाड कर पक्की दुकान बनाने की धमकी दी गई। अपीलांट द्वारा कब्रिस्तान की भूमि हो हडपने के लिए अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जबकि राज्य सरकार द्वारा श्मशान एवं कब्रिस्तान की भूमियो का विकास [illegible] निर्देश जारी कर परिपत्र जारी किया गया है। साथ ही जो भूमि कब्रिस्तान एवं श्मशान के [illegible] मे आ रही हो उसे सिवायचक घोषित कर रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का मौके पर कब्जा नही माना है। खसरा गिरदावरी मे कब्रिस्तान होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रमाण सिद्व माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। जो विधिक रूप से उचित है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात सक्का फकीर समाज कब्रिस्तान के रूप मे काम आ रही है, पत्रावली मे उपलब्ध खसरा गिरदावरी की नकलो मे भी भूमि कब्रिस्तान होने का अंकन किया हुआ है। कब्रिस्तान की आवारा जंगली पशुओ से सुरक्षा हेतु समाज विशेष द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किये जाते है। कब्रिस्तान एवं श्मशान की भूमियो के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा सिद्व नही होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अपीलांट का कब्जा सिद्व नही होने से प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति अपीलांट के पक्ष मे सिद्व नही होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज़ किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 68/14 निर्णय दिनांक 18.11.15 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:45 IST
Reason: SelfAttested